उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-76/2016/1908/92-2-2016-91जॉच/2014
लखनऊ :: दिनांक:: 08 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद गोण्डा के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यो की एन0क्यू0एम0 एवं एस0टी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा किये गये निरीक्षण में स्थलीय जॉच में निर्माण कार्यो की ग्रेडिंग असंतोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/5511/92-14-91जांच/2014 दिनांक 02-01-2015 द्वारा प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये श्री अवधेशमणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0 यू0-2 गोण्डा, श्री कृपाल सिंह वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, गोण्डा, श्री बाबू लाल रावत, तत्कालीन सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, गोण्डा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री कृपाल सिंह वर्मा अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2015 को सेवानिवृत्त हो गये। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1810/92-2-15-91जांच/2014 दिनांक 23-09-2015 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री कृपाल सिंह वर्मा के विरूद्व उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित कर दिया गया।

2- श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्कालीन मुख्य अभियंता (पश्चिमी क्षेत्र)/जॉच अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर द्वारा प्रचलित जॉच की कार्यवाही पूर्ण करते हुये क्रमशः पत्र संख्या-749/ग्रा0अ0वि0/से0/अनु0जॉच-गोण्डा/आ0लि0/14-15 दिनांक 26.11.2015 एवं पत्र सं0-746/ग्रा0अ0वि0/से0/अनु0जांच-गोण्डा/आ0लि0/14-15 दिनांक 26.11.2015 एवं पत्र सं0-748/ग्रा0अ0वि0/से0/अनु0 जॉच-गोण्डा/आ0लि0/14-15 दिनांक 26-11-2015 द्वारा अपचारी अधिकारी सर्वश्री अवधेश मणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, श्री कृपाल सिंह वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त) एवं श्री बाबूलाल रावत, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-2 के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक जॉच में अपनी जॉच आख्या, शासन को प्रेषित की गयी जिसमें तीनो अपचारी अधिकारी, के विरूद्व अधिरोपित आरोप स्थापित होना नही पाया गया।

3- अपचारी अधिकारियों पर निर्माणाधीन सम्पर्क मार्गो का एन0क्यू0एम0 एवं एस0टी0ए0 के संयुक्त निरीक्षण में कमियॉ दृष्टिगोचर के उपरान्त निम्नवत आरोपों से आरोपित किया गया :-

क्र0 सं0	रोड/पैकेज का नाम	कमियॉ/आरोप
1-	महाराजगंज आर्यनगर से करनैलगंज (पैकेज सं0-	चैनेज सं0-956 मी0 पर जी-2 का मैटेरियल ग्रेडिंग के समय अन्डर साइज पाया गया तथा जी0एस0बी0 भी कई स्थानों पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	यू0पी03060)	डिस्टर्ब पायी गयी एवं नवनिर्मित पुलिया का पैरापेट में क्रेक पाया गया।
2-	महाराजगंज आर्यनगर से करनैजगंज (पैकेज सं0-यू0पी03061)	निरीक्षण के समय स्थलीय प्रयोगशाला स्थापित नही पायी गयी एवं क्यू0सी0आर0 रजिस्टर में अकित इण्ड्रीज जॉच के दौरान त्रुटिपूर्ण पायी गयी। उक्त कार्य के विभिन्न चैनेज पर जॉच के दौरान समिति को जी0एस0बी0 का कार्य हुआ नही पाया गया। चैनेज 8.5 कि0मी0, 9.13 कि0मी0, 11.8 कि0मी0, 13.5 कि0मी0 एवं 17.345 कि0मी0 पर जी-2 का एवं चैनेज 8.5 कि0मी0 पर जी-3 का ग्रेडेशन विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाया गया। जी-2 की थिकनेस भी चैनेज 9.13 कि0मी0, 11.8 कि0मी, 13.5 कि0मी0 एवं 17.345 कि0मी0 पर मानक से कम पायी गयी तथा जी-3 की थिकनेस 7.3 कि0मी0, 8.5 कि0मी0 एवं 9.13 कि0मी0 पर कम पायी गयी। नवनिर्मित पुलिया के पैरापेट में क्रेक पाया गया। इसके अतिरिक्त साइन बोर्ड भी स्टैण्डर्ड डिजाइन का नही पाया गया।
3-	महाराजगंज आर्यनगर से करनैजगंज (पैकेज सं0-यू0पी03062)	जॉच के समय समिति को स्थलीय प्रयोगशाला स्थापित नहीं पायी गयी एवं क्यू0सी0आर0 रजिस्टर प्रापर्ली पूर्ण नही पाया गया एवं उसमें भरी गयी इण्ट्री भी त्रुटिपूण्र पायी गयी। मार्ग की वाइन्उनिग में जी0एस0बी0 का कार्य चैनेज 20.54 कि0मी0 एवं 21.78 कि0मी0 पर विशिष्टयों के अनुसार नही पायी गयी। चैनेज 19.635 कि0मी0 पर बी0टी0 की मोटाई भी कम पायी गयी। साईन बोर्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 की विशिष्टियों के अनुरूप स्टैन्डर्ड साईज की नही पायी गयी।
4-	सी0बी0एन0 मार्ग से अमधई अन्धा (पैकेज सं0-यू0पी03065)	डब्ल्यू0 बी0एम0 में स्क्रीनिंग मैटेरियल अधिक होने के कारण इस मार्ग की असंतोषजनक ग्रेडिंग दी गयी है, जिसके लिये रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि डब्ल्यू0बी0एम0 सतह बिना लेपित हुये अधिक समय तक यातायात के चलने के कारण स्क्रीनिंग का प्रतिशत बढ गया है।
5-	सी0बी0एन0 मार्ग से अमधई बन्धा (पैकेज सं0-यू0पी0-3066)	जी-2 की थिकनेस चैनेज 7.36 कि0मी0 एवं 13.56 कि0 मी0 पर कम पायी गयी। चैनेज 7.36 कि0मी0 11.44 कि0मी0 एवं 13.65 कि0मी0 पर ग्रेडेशन विशिष्टियों के अनुसार नही पाया गया। कार्यस्थल पर साइन बोर्ड भी विशिष्टियों के अनुरूप स्टैण्डर्ड साइज की नही पाया गया।

4- श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्कालीन मुख्य अभियंता (प0क्षे0)/जॉच अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रेषित जॉच आख्या का शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रारम्भिक जॉच में एन0क्यू0एम0/एस0टी0ए0 द्वारा स्थलीय जॉच के निरीक्षण में ग्रेडिंग असंतोषजनक दर्शाये जाने के उपरान्त जॉच अधिकारी द्वारा प्रेषित की गयी जॉच आख्या में कोई भी आरोप सिद्ध न पाया जाना संदेहास्पद है। श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्कालीन मुख्य अभियंता (प0क्षे0)/जॉच अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिमण्डल-गोरखपुर द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं संदेहास्पद जॉच आख्या के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1082/92-2-16-91जांच/2016 दिनांक 06.06.2016 द्वारा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के सापेक्ष तीनो अपचारी अधिकारियों के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये श्री शैलेष अग्रवाल, मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। श्री शैलेष अग्रवाल, मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तत्कालीन सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा क्रमशः अपने पत्र दिनांक 14.10.2016 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री अवधेश मणि त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता,श्री कृपाल सिंह वर्मा, सहायक अभियंता (सेवानिृत्त) एवं श्री बाबूलाल रावत, तत्कालीन सहायक अभियंता (सेवानिृत्त) के विरूद्व जांच आख्या प्रेषित की गी जिसमें क्रमशः अवधेश मणि त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता पर आरोप संख्या-1, 2 एवं 3 आंशिक रूप से स्थापित पाये गये, आरोप संख्या-4 पूर्णरूप से स्थापित पाये गये, आरोप सं0-5 स्थापित नही पाया गया। श्री कृपाल सिंह वर्मा, सहायक अभियंता (सेवानिृत्त) पर आरोप सं0-1 आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप संख्या-2 स्थापित नही पाये गये। श्री बाबूलाल रावत, सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त) के विरूद्व आरोप संख्या-1, 2 एवं 3 आंशिक रूप से स्थापित पाये गये।

5- उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्कालीन मुख्य अभियंता (पश्चिमी)/जॉच अधिकारी सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-गोरखपुर द्वारा निर्माण कार्यो की प्रारम्भिक जॉच में एन0क्यू0एम0/एस0टी0ए0 द्वारा स्थलीय जॉच के समय ग्रेडिंग असंतोषजनक होने के फलस्वरूप श्री गर्ग, जॉच अधिकारी द्वारा दी गयी जॉच आख्या में कोई आरोप सिद्व न पाये जाने तथा संदेहात्मक/त्रुटिपूर्ण आख्या प्रेषित करने हेतु शासन के पत्र सं0-1081/92-2-16-91जांच/2014 दिनांक 06.06.2014 एवं स्मृति पत्र संख्या-1821/92-2-16-91जांच/2014 दिनांक 02.11.2016 द्वारा श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्कालीन मुख्य अभियंता (पश्चिमी)/जॉच अधिकारी, परिमण्डल-गोरखपुर से स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री अनिल कुमार गर्ग द्वारा स्पष्टीकरण शासन में उपलब्ध नही कराया गया है बल्कि अपने पत्र दिनांक 25.06.2016 द्वारा प्रकरण में कतिपय अभिलेख की मांग की गयी। श्री गर्ग द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-32/ग्रा0अ0वि0/अनु0 जांच/ श्रावस्ती/2016-17 दिनांक 04.08.2016 द्वारा वांछित अभिलेख श्री गर्ग को उपलब्ध कराये गये है, किन्तु श्री गर्ग द्वारा अपना स्पष्टीकरण पर उत्तर न देते हुये प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखने के उददेश्य से अपने पत्र दिनांक 08.08.2016 द्वारा कतिपय अनावश्यक अन्य अभिलेखों/सूचनाओं की मांग की गयी।

6- अतः श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्कालीन प्रभारी मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर द्वारा प्रेषित की गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारियों पर लगाये गये आरोपों का विधिवत परीक्षण नही किया गया तथा सतही, संदेहात्मक, त्रुटिपूर्ण जॉच आख्या शासन को प्रेषित की गयी जिसके लिये श्री अनिल कुमार गर्ग, मुख्य अभियंता (प0क्षे0)/जॉच अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-गोरखपुर को दोषी पाया जाता है। अतः सम्यक विचारोपरान्त उक्त कृत्य श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्कालीन मुख्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अभियंता (पश्चिमी) /जॉच अधिकारी सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-गोरखपुर को उक्त कार्यवाही हेतु वर्ष 2015-16 की सत्यनिष्ठा रोकते हुये निम्नवत **परिनिन्दित** किये जाने का निर्णय लिया जाता है :-

"आप द्वारा जनपद गोण्डा के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत निर्माण कार्यो में बरती गयी अनियमितता हेतु श्री अवधेश मणि त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, श्री कृपाल सिंह वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त) श्री बाबू लाल रावत, तत्कालीन अधिशासी अभियंता के विरूद्व शासन द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी के रूप में संदेहात्मक/त्रुटिपूर्ण जॉच आख्या प्रेषित करने हेतु एतदद्वारा आपको **परिनिन्दित** किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-76/2016/1908(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्कालीन मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर परिमण्डल को उक्त आदेश की प्रति तामिल कराकर तामिल की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- श्री अनिल कुमार गर्ग, मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in